

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा।

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 1993/एस0एल0एस0ए0-11/2023 (हैदर) दिनांकित 21.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के 11 जनपदों में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 31.07.2023 की सायं 05:00 बजे तक नियत किया गया है। विज्ञप्ति के माध्यम से पात्र अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के Official Website - www.upslsa.up.nic.in पर अपलोड करें। प्रदेश में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु जनपद का नाम निम्नवत् है -

क्र० सं०	जनपद का नाम
01	संत कबीर नगर
02	अम्बेडकर नगर
03	फैजाबाद
04	चन्दौली
05	फतेहपुर
06	सिद्धार्थ नगर
07	मेरठ
08	जौनपुर
09	महोबा
10	कुशीनगर
11	अमरौहा

Signature
10/07/2023
(देवेन्द्र सिंह-I)
जिला जज/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महोबा।

प्रतिलिपि -

1. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता समिति, महोबा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
2. नजारत प्रभारी, जनपद न्यायालय, महोबा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय, महोबा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. सिस्टम असिस्टेंट, जनपद न्यायालय महोबा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं ई-कोर्ट महोबा की बेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
4. जिला सूचना अधिकारी, महोबा को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति की सूचना का निःशुल्क प्रकाशन समस्त दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला जज/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महोबा।